286

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

दिनांकः 9-8-18

क्रमांक : जविप्रा / अआ / एलपीसी / 18 / डी– 740

आदेश

माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा दिनांक 25.07.18 को जयपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित प्रकरणों के संबंध में ली गई बैठक के दौरान दिये गये निर्देशानुसार सभी उपायुक्तों को निर्देशित किया जाता है कि एलपीसी की बैठक में एजेण्डा नोट प्रस्तुत करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जावेः–

1. संस्था द्वारा जिस प्रयोजन हेतु आवेदन किया है, वह प्रयोजन संस्था के विधान में अंकित हो।
2. प्राजेक्ट रिपोर्ट में कार्य प्रारम्भ करने व पूर्ण करने का विवरण अंकित हो।
3. एजेण्डा नोट के सभी कॉलम आवश्यक रूप से भरे हुये हों।
4. एजेण्डा नोट में संस्था के पदाधिकारियों की साख का विवरण अंकित करें।
5. एजेण्डा नोट में प्रस्तावित भूमि की आवासीय आरक्षित दर / संस्थानिक आरक्षित दर अवश्य अंकित करें।
6. एजेण्डा नोट में प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग व मास्टर प्लान / जोनल प्लान के अनुसार अनुज्ञेयता संबंधी जांच कर आवश्यक अंकन करें।
7. प्रस्तावित भूमि के आस–पास की लोकेशन दर्शाते हुये हस्ताक्षरित नजरी नक्शा प्रस्तुत करें।
8. प्रस्तावित भूमि विकसित / अविकसित व बेशकीमती होने का विवरण अंकित करें।

(अर्चना सिंह)
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (विधि / वित्त), जविप्रा, जयपुर।
4. परामर्शी (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. विशेषाधिकारी (संसाधन विकास), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन–1 से 14, पृथ्वीराज नगर उत्तर (प्रथम / द्वितीय) व दक्षिण (प्रथम / द्वितीय) जविप्रा, जयपुर।

अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जविप्रा, जयपुर।

D:\Lpc Work\LPC Letter & UO Note\Letter\Letter...